तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 3739 / 2006 / सवाई माधोपुर सरकार बनाम सीताराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–

श्रीमति पूनम माथुर, अति.राजकीय अभिभाषक, सरकार
श्री वी.पी.सिंह राजावत, अभिभाषक, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 10–12–2019

यह रेफरेन्स जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 29–03–2006 के द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बौली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पीपलदा की आराजी खसरा संख्या 2233/9 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म गैरमुमकिन नाडी के रूप में जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 में अभिलिखित थी। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। इसके बावजूद आवंटन अधिकारी ने उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में अनियमित रूप से कर दिया। जिसकी पालना में रामगोपाल पुत्र भौरीलाल के पक्ष में गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 01–08–1976 एवं खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 1286 दिनांक 03–06–1989 स्वीकार किए गए।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 3739 / 2006 / सवाई माधोपुर सरकार बनाम सीताराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यहीं नहीं विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1904 दिनांक 28–12–2001 अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया। अतः विवादित आराजी बाबत किया गया आवंटन एवं तत्पश्चात स्वीकृत किए गए समस्त नामान्तरकरण अवैध एवं अनियमित है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस को स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि गैरमुमकिन नाडी दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैरमुमकिन नाडी के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–08–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी कि किस्म पूववर्ती गैरमुमकिन नाडी दर्ज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस का घोर विरोध करते हुए खारिज करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत मामले में बंदोबस्त का समस्त रेकार्ड पेश नहीं किया गया है। आगे बताया कि प्रश्नगत रकबे पर कभी गैरमुमकिन नाडी नहीं रही है तथा भूमि अप्रार्थीगण का वर्षो से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। यहीं नहीं बंदोबस्त विभाग विभाग भूमि की किस्म बारानी प्रथम दर्ज की गई, वह उचित है। उनका तर्क है कि प्रश्नगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 3739 / 2006 / सवाई माधोपुर सरकार बनाम सीताराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबे पर गैरमुमकिन नाडी नहीं है। आगे बताया कि उनके द्वारा विवादित आराजियात का बेचान कर दिया गया है तथा वर्तमान क्रेता का आराजी कब्जाकाश्त है। इस कारण प्रश्नगत रकबे की रेफरेंस की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की जा सकती। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में विवादित आराजी बाबत की गयी रेफरेंस की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने रेफरेंस खारिज कर विवाादित आराजी बाबत उनके पक्ष में प्रदान किए गए खातेदारी अधिकार को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया। हमने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस पत्रावली परीक्षण किया। जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि मौजा पीपलदा की आराजी खसरा संख्या 2233/9 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म गैरमुमकिन नाडी के रूप में जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 में अभिलिखित थी। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। इसके बावजूद आवंटन अधिकारी ने उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में अनियमित रूप से कर दिया। जिसकी पालना में रामगोपाल पुत्र भौरीलाल के पक्ष में गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 01–08–1976 एवं खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 1286 दिनांक 03–06–1989 स्वीकार किए गए। यहीं नहीं विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1904 दिनांक 28–12–2001 अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 3739 / 2006 / सवाई माधोपुर सरकार बनाम सीताराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। इसके बावजूद आवंटन अधिकारी ने उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में अनियमित रूप से कर दिया। अतः यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। इस कारण प्रश्नगत रकबे बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन एवं तत्पश्चात स्वीकृत किए गए समस्त नामान्तरकरण अवैध एवं अनियमित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अतः विवादित आराजी बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन एवं तत्पश्चात स्वीकृत किए गए समस्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। इसके साथ ही ग्राम पीपलदा स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 2233/9 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन एवं पालना में गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 01-08-1976 एवं खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 1286 दिनांक 03-06-1989 तथा विरासत का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एलआर / 3739 / 2006 / सवाई माधोपुर सरकार बनाम सीताराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामान्तरकरण संख्या 1904 दिनांक 28-12-2001 को निरस्त किए जाते हैं। विवादित आराजी को राजस्व रेकार्ड में पुनः पूर्ववर्ती गैरमुमकिन नाडी सिवायचक की भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	